तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./6256/2006/बून्दी** **महावीर बनाम कल्याणमल के कायम मुकामान डा.मंजू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-2-18	**एकल–पीठ** **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री अजयपाल सिंह अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 26–7–06 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी ने तहसीलदार के.पाटन के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी ने अप्रार्थी के खाते की खसरा नम्बर 179 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा में से20 इनटू 20 वर्गफिट पर नाजायज कब्जा कर चादर गाड कर सामान रख लिया है। इसलिये उसे बेदखल किया जावे। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 2–4–03 के द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने एवं तावान का 15 गुना शास्ती आरोपित करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने जिला कलेक्टर बून्दी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–7–06 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी आवादी क्षेत्र में है। विगत कई वर्षो से खातेदार का इस भूमि पर तथा आस पास की भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी के कब्जे की आस पास की भूमि अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है तथा उनके द्वारा इस भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार जब अप्रार्थी लम्बी अवधि से इस भूमि पर काबिज ही नहीं रहा है तो उसके द्वारा धारा 183 बी के आवेदन में जो कब्जा करने की दिनांक अंकित की है वह पूर्ण रूप से मिथ्या है तथा वास्तविक वाद कारण 30 वर्ष से भी अधिक लम्बी अवधि पूर्व उत्पन्न हुआ था। इतनी लम्बी अवधि तक स्वयं कल्याणमल की जानकारी में इस भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने का तथ्य रहने से अब वर्तमान प्रकरण अवधि बाधित होने के कारण चलने येाग्य नहीं है। दोनों	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6256/2006/बून्दी</u>** **<u>महावीर बनाम कल्याणमल के कायम मुकामान डा.मंजू व अन्य</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों ने मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनका तर्क है कि इस भूमि पर पूर्व में हाजी अब्दुल पुत्र नूर मोहम्मद की चक्की लगी हुई थी तथा उसके द्वारा इस भूमि का कब्जा अब्दुल वहीद मंसूरी को दिया गया जिसने महफूज खांको इस भूमि का कब्जा प्रदान किया तत्पश्चात इन्द्रजीत सिंह ने यह भूमि क्रय की और इन्द्रजीत सिंह से प्रार्थी ने यह भूमि क्रय की है। इससे यह साबित है कि कल्याणमल का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। तथा जब प्रार्थी ने कल्याणमल को बेदखल कर कब्जा ही प्राप्त नहीं किया तो वह प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अप्रार्थी की ओर से अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। 5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये दोनों निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने वर्ष 1997 से नाजायज कब्जा कर चादर गाड कर समान रख दिया है। उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसमें बेदखली के आदेश दिये हैं जो उचित हैं। उक्त धारा में अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिये जाने का प्रावधान है। 6– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम के.पाटन में से 20इनटू 20 वर्गफिट पर नाजायज कब्जा कर टिन शेड लगाया जाना प्रमाणित होता है। जिस भूमि पर प्रार्थी द्वारा कब्जा किया गया है वह अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी सवर्ण जाति का है और अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उक्त धारा अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिये जाने हेतु बनाई गई है। इस धारा में सरसरी कार्यवाही का प्रावधान है। नायब तहसीलदार द्वारा तैयार कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी द्वारा कब्जा किया जाना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में धारा 447,502 भारतीय दंड संहिता एवं धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./6256/2006/बून्दी</u>** **<u>महावीर बनाम कल्याणमल के कायम मुकामान डा.मंजू व अन्य</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3(1) व 3(1) एस.सी.एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में वाद दायर किया था जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11-8-04 को दोषमुक्त किया है। प्रार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 22-8-88 की फर्द मौका रिपोर्ट में हाजी अब्दुल्ला आत्मज नूरमोहम्मद ने उक्त आराजी पर टिनशेड में चक्की लगाकर अतिचार किया है। उक्त टिनशेड को हाजी ने अब्दुल वहीद मंसूरी को बेचान किया, मंसूरी ने महफूज खां को तथा महफूजखां ने इन्द्रजीत सिंह को बेचान किया है। प्रार्थी ने उक्त टिनशेड इन्द्रजीत सिंह से क्रय किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भू खण्ड का बार बार बेचान हुआ है साथ ही कब्जा भी परिवर्तन होता रहा है। परन्तु यह बेचान सादा लेख पर होना प्रकट होता है। अन रजिस्टर्ड दस्तावेज से किसी को टाइटल प्राप्त नहीं होता है। विधि अनुसार अतिचार की गई भूमि अथवा सरकारी भूमि पर का हस्तान्तरण भी नहीं किया जा सकता है और उसका पंजीयन भी नहीं किया जा सकता है। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी का वाद मण्डल स्तर तक से खारिज हो चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया लेकिन ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हम निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। 8- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./6256/2006/बून्दी** **महावीर बनाम कल्याणमल के कायम मुकामान डा.मंजू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए